ए.

टी. पी. गोपालकृष्णन बनाम

केरल राज्य

(2017 की आपराधिक अपील Nos.187-188) 08 दिसंबर, 2022

बी.

[बी**.** आर**.** गवई और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानः Art.20 (2)-दोहरे खतरे से सुरक्षा-दंड प्रक्रिया संहिता -s.300-'समान अपराध' का अर्थ है-अपीलार्थी -अभियुक्त ने 31.05.1991 से 31.05.1994 की अवधि के लिए कृषि अधिकारी के रूप में काम किया-उसके खिलाफ आरोप था कि उसने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद पर कुछ राशि का दुरुपयोग किया, उसे उप-कोषागार में नहीं भेजकर-27.04.1992 से 25.08.1992 और 01.03.1993 से 12.04.1994 की समय अवधि से संबंधित आरोप- विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को यू/एस अपराधों के लिए दोषी ठहराया।13(2) पी. सी. अधिनियम के आर/डब्ल्यू 13 (1) (सी) और एस।409 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा-अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि वर्तमान मामले यू/एस से वर्जित हैं।300 सी. आर. पी. सी. क्योंकि उन पर पहले से ही उन्हीं आरोपों से संबंधित पिछले तीन मामलों में मुकदमा चलाया जा चुका था, जिसमें उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अनुच्छेद 20 (2) के आवेदन के लिए तीन शर्तें हैं-पहला, किसी अदालत या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष पिछली कार्यवाही जिसमें व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया होना चाहिए, अभियोजन वैध होना चाहिए और अमान्य या निष्फल नहीं होना चाहिए-दूसरा, पिछली कार्यवाही में दोषसिद्धि या बरी होना उसी अपराध और तथ्यों के संबंध में दूसरी कार्यवाही के समय लागू होना चाहिए, जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था और पहली कार्यवाही में न्यायालयित किया गया था-तीसरा, बाद की कार्यवाही एक नई कार्यवाही होनी चाहिए, जहां वह दूसरी बार है, उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने और न्यायालयित करने की मांग की गई है और तथ्यों का एक ही सेट-'वही अपराध' का अर्थ है जहां अपराध अलग नहीं हैं और अपराधों के तत्व समान हैं -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

478

479

टी. पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य ए.

25.08.1992 और 01.03.1993 से 12.04.1994 जो समय अवधि पिछले तीन मामलों की तरह ही है, अर्थात 28.02.1994 से 02.04.1994,15.12.1992 से 31.03.1993 और 05.03.1994 से 08.03.1994-वर्तमान मामले तथ्यों के एक ही समूह से संबंधित हैं और गबन की समान अवधि के संबंध में हैं-पिछले तीन मामलों में न्यायालय और वर्तमान मामले उन्हीं अपराधों से संबंधित हैं जो अपीलार्थी द्वारा कृषि अधिकारी के एक और एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेनदेन के दौरान किए गए हैं-पिछले तीन मामलों में आरोप ऑडिट के बाद बनाए गए थे और अभियोजन पक्ष वर्तमान मामलों के संबंध में गबन के बारे में अच्छी तरह से अवगत होता-चूंकि, अपीलार्थी पर पहले ही विचारण न्यायालय चलाया जा चुका है।300 मामले के तथ्यों पर लागू-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-दंड संहिता, 1860।

बी.

सी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.300 (2)-किसी विशिष्ट अपराध के लिए बाद का अभियोजन-राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेने में विफलता-उसका प्रभाव-आयोजितःजब दूसरे मुकदमे का आरोप विशिष्ट अपराध के लिए होता है, तो मुकदमा वर्जित नहीं होता है-किसी भी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर एक विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति से एक अलग आरोप बनाया जा सकता है-तत्काल मामले में, भले ही आरोप पिछले मामलों से अलग हों, अभियोजन पक्ष राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा हो, मुकदमा गैरकानूनी है।

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:दोहरे खतरे और दोहरे सजा-के बीच अंतर-दोहरे सजा तब हो सकती है जब किसी व्यक्ति को एक अभियोग में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है-हालांकि, दोहरे खतरे का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब बाद के अभियोग पर दूसरे मुकदमे की मांग की जाती है, जिसमें दोषसिद्धि या पहले के अभियोग पर बरी होना-दोहरे खतरे का सिद्धांत व्यक्ति को दूसरी सजा या सजा के खतरे से सुरक्षा नहीं है, न ही एक अपराध के लिए सजा की सेवा-यह एक ही अपराध के लिए दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा है, जो कि एक ही अपराध के लिए दूसरे मुकदमे के खिलाफ है। भारत का संविधान-अनुच्छेद 21-जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार-जीने का अधिकार-इसके दायरे में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है-दोहरे के खिलाफ सुरक्षा।

एफ.

जी.

एच.

अनुच्छेद 21 के दायरे में-तथ्यों की उसी श्रृंखला में एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना, जिसके लिए वह पहले या तो बरी हो चुका है या दोषी ठहराया गया है और सजा काट चुका है, व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करता है-दोहरा खतरा।

सिद्धांत/सिद्धांत:दोहरे खतरे का सिद्धांत-इसके अनुप्रयोग-चर्चा की गई-मैक्सिम नेमो डेबर बिस वेक्सारी, सी कॉस्टेस्ट क्यूरी सीट प्रो एक और एडम कारण।

बी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **300** इस सिद्धांत पर आधारित है **-**

सी.

सबसे महंगी चीज़ कौन सी है और कौन सी है**?**

कारण जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर उस अपराध के लिए दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो उस अपराध में शामिल है जिसके लिए उस पर पहले आरोप लगाया गया था।पहले से ही मुकदमा चलाए जा चुके किसी भी व्यक्ति के मुकदमे को रोकने के लिए**,**

यह दिखाया जाना चाहिए कि:**(i)** उस पर उसी अपराध के लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है या उसी तथ्यों पर उसे मुकदमे में दोषी ठहराया गया है**, (ii)** उसे मुकदमे में दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है**,** और **(iii)** ऐसी दोषसिद्धि या बरी होना लागू है।**[**पैरा **23] [495-**बी**-**डी**]**

डी.

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद **20 (2)** में अपने दायरे में**,** स्वयंभू दोषी की याचिका को शामिल किया गया है**,** जिसका अर्थ है**,** जिसे पहले ब्रिटिश न्यायशास्त्र में दोषी ठहराया गया था**,** या अमेरिकी संविधान को ज्ञात दोहरे खतरे की याचिका।हालाँकि**,** उक्त अवधारणाएँ अनुच्छेद **20 (2)** में सीमित हैं जो यह प्रावधान करता है कि न केवल एक अभियोजन होना चाहिए**,** बल्कि उसी अपराध के लिए दूसरे अभियोजन और सजा के लिए एक बाधा के रूप में काम करने के लिए पहली बार में सजा भी होनी चाहिए।अनुच्छेद **20** के उपखंड **(2)** को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर**,** यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान केवल दूसरे अभियोजन को प्रतिबंधित करता है जहां आरोपी पर पहले एक ही अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो और उसे दंडित किया गया हो।**[**पैरा **26] [495-**जी**-**एच**; 496-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

जी.

3. खंड को लागू करने के लिए तीन शर्तें हैं।सबसे पहले**,** कानून की न्यायालय या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष पिछली कार्यवाही होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया होना चाहिए।उक्त अभियोजन वैध होना चाहिए और अमान्य या निष्फल नहीं होना चाहिए।

एच.

481

टी. पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य ए.

ए.

दूसरा**,** पिछली कार्यवाही में दोषसिद्धि या बरी होना उसी अपराध और तथ्यों के उसी समूह के संबंध में दूसरी कार्यवाही के समय लागू होना चाहिए**,** जिसके लिए उस पर पहली कार्यवाही में मुकदमा चलाया गया था और दंडित किया गया था।तीसरा**,** बाद की कार्यवाही एक नई कार्यवाही होनी चाहिए**,** जिसमें उस पर दूसरी बार मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसी अपराध और तथ्यों के एक ही समूह के लिए दंडित किया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में**,** खंड का कोई अनुप्रयोग नहीं है जब बाद की कार्यवाही केवल पिछली कार्यवाही की निरंतरता है**,**

उदाहरण के लिए, जहां इस तरह के बरी होने या दोषसिद्धि से अपील उत्पन्न होती है।दोहरे खतरे की याचिका को बनाए रखने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि इस खंड की सभी उपरोक्त शर्तें पूरी हो गई हैं।**[**पैरा **27] [496-**सी**-**एफ**]**

बी.

सी.

4. सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **300** और भारत के संविधान के अनुच्छेद **20** में 'एक ही अपराध' शब्द का उपयोग किया गया है।इस मुद्दे से निपटने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि 'एक ही अपराध' शब्द का क्या अर्थ है और इसमें क्या शामिल है।सरल भाषा में 'एक ही अपराध' शब्द का अर्थ है, जहां अपराध अलग-अलग नहीं हैं और अपराधों के तत्व समान हैं। जहां अलग-अलग घटकों से बने दो अलग-अलग अपराध हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद **20** के तहत प्रतिबंध का कोई अनुप्रयोग नहीं है, हालांकि अपराधों में कुछ अतिव्यापी विशेषताएं हो सकती हैं।अनुच्छेद **20** की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि अपराध सभी मामलों में समान और समान हों।**[**पैरा **28] [496-**एफ**-**एच**]**

डी.

ई.

5. दोहरे खतरे की अवधारणा को संविधान के अनुच्छेद **21** के संदर्भ में भी समझा जा सकता है।दोहरे खतरे से सुरक्षा को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद **21** के दायरे में शामिल किया गया है।तथ्यों की उसी श्रृंखला में एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना, जिसके लिए वह पहले या तो बरी हो चुका है या दोषी ठहराया गया है और सजा काट चुका है, व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करता है।दोहरे खतरे को अक्सर दोहरे दंड के साथ भ्रमित किया जाता है।इन दोनों में बहुत अंतर है।दोहरा दंड तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को एक अभियोग में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, हालांकि, दोहरा खतरे का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब दोषसिद्धि या पहले के अभियोग पर बरी होने के बाद बाद के अभियोग पर दूसरा परीक्षण मांगा जाता है।यह सिद्धांत निश्चित रूप से व्यक्ति को खतरे से सुरक्षा नहीं देता है।

एफ.

जी.

एच.

दूसरी सजा या सजा, और न ही एक अपराध के लिए सजा की सेवा के लिए, लेकिन एक ही अपराध के लिए दोहरे खतरे के खिलाफ संरक्षण है, जो एक ही अपराध के लिए दूसरे मुकदमे के खिलाफ है।[पारस **29** और **30] [497-**ए-एफ]

6. अपीलार्थी पर पहले अधिनियम की धारा **13 (2)** सहपठित धारा **13 (1) (**सी**)** और आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **409** और **477** ए के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था और उसे दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था।वर्तमान दो मामले तथ्यों के एक ही समूह और एक ही लेनदेन से उत्पन्न होते हैं जो पिछले तीन मामलों में हुआ था जिसमें अपीलार्थी पर क्रमशः मुकदमा चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था/बरी कर दिया गया था।किसी अपराध को अंतिम अपराध के समान अपराध मानने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध अलग-अलग नहीं हैं और अपराध के तत्व समान हैं। पिछला आरोप और वर्तमान आरोप गबन की उसी अवधि के लिए है।पिछले तीनों मामलों और वर्तमान मामले में अपराधों का मामला समान है और कहा जाता है कि अपीलार्थी द्वारा कृषि अधिकारी के एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेन-देन के दौरान किया गया था।[पैरा **37] [500-**बी-डी]

बी.

सी.

डी.

7. विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि पिछले मामले के तथ्य और अभियुक्त द्वारा किए गए गबन वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों के समान नहीं हैं।वर्तमान मामले में शुल्क **27.04.1992** से **25.08.1992** और **01.03.1993** से **12.04.1994** तक की प्रासंगिक अवधि के लिए हैं, जो समय अवधि पिछले तीन मामलों में क्रमशः **28.03.1994** से **02.04.1994,15.12.1992** से **31.03.1993** और **05.03.1994** से **08.03.1994** के समान है।इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले तथ्यों के एक ही समूह से संबंधित हैं और उसी अवधि के लिए समान अपराधों के संबंध में हैं, जो पिछले तीन मामलों के समान क्षमता में किए गए थे, जिसमें अपीलार्थी पर पहले ही वर्ष **1999** में मुकदमा चलाया जा चुका था।इन सभी पांचों मामलों में मुख्य आरोप कैश बुक में गलत प्रविष्टियां करके गबन से संबंधित है।अभियोजन पक्ष का यह आरोप कि नीलामी राशि का दो-तिहाई कोष में नहीं भेजा गया था, धन के दुरुपयोग के आरोपों के तहत कवर किया जाएगा, जिसके लिए अपीलार्थी पर वर्ष **1999** में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है।अपीलार्थी का यह तर्क देना सही है कि पहले ए में आरोप

ई.

एफ.

जी.

एच.

483

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य ए.

तीन मामलों को **17.08.1999** पर तैयार किया गया था जो ऑडिट के बहुत बाद है और अभियोजन पक्ष को **17.08.1999** पर वर्तमान मामलों के संबंध में गबन के बारे में अच्छी तरह से पता होगा।**[**पैरा **38] [500-**ई**,** जी**-**एच**; 501-**ए**-**सी**]**

8. तत्काल मामलों में आरोप/अपराध पिछले तीन मामलों में आरोपों/अपराधों के समान हैं**,** इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **300 (2)** के तहत जनादेश के अनुसार**,** राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि वर्तमान मामलों में आरोप पिछले मामलों की तुलना में अलग हैं**,** अभियोजन पक्ष अभियुक्त**-**अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है और इसलिए तत्काल मामले में मुकदमा गैरकानूनी है।**[**पैरा **39] [501-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

एस**.** ए**.** वेंकटरमण बनाम भारत संघ ए**.** आई**.** आर**. 1954** एस**.** सी**. 375:[1954]** एस**.** सी**.** आर**. 1150;** मकबूल हुसैन बनाम राज्य

बॉम्बे एयर 1953 एस. सी. 325:[1953] एस. सी. आर. 730; मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 ए. आई. आर. 597:[1978] 2

डी.

एससीआर **621;** विजयलक्ष्मी बनाम वासुदेवन **(1994) 4** एससीसी **656;** ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य एआईआर **1966** एससी **911:[1966] 2** एससीआर **740;** राज्य **(**दिल्ली का एन**.** सी**.** टी**.)** बनाम नवजोत

संधू (2005) 11 एससीसी 600:[2005] 2 पूरक।एस. सी. आर. 79-निर्भर।

ई.

संदर्भित निर्णय

(1994) 4 एस**.** सी**.** सी**. 656**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **23**

[1966] 2 एससीआर **740**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **25**

एफ.

पैरा **26**

[1954] एससीआर **1150**

पर भरोसा किया गया |

[1953] एससीआर **730**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **26**

[2005] 2 पूरक।एससीआर **79** पर भरोसा किया गया

पैरा **28**

पर भरोसा किया गया |

[1978] 2 एससीआर **621**

पैरा **29**

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2017 की आपराधिक अपील संख्या 187-188।

सी. आर. एल. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.06.2016 के निर्णय और आदेश से। ए. 2009 का Nos.947 और 948।

एच.

एडोल्फ मैथ्यू, संजय जैन, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

बी.

1. ये आपराधिक अपीलें एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश पर आरोप लगाते हुए दायर की गई हैं, जिसके द्वारा सी. सी. में पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश और 2003 की 25 तारीख को जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, कोझिकोड (सुविधा के लिए 'ट्रायल कोर्ट') के न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया है।

सी.

2. सुविधा के लिए, पक्षकारों को उनके पद के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा।

डी.

3. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दोनों मामलों में अपने निर्णय और दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ('अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 13 (1) (सी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे दो साल के लिए सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करने और उसकी चूक में छह महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में 'आई. पी. सी.') की धारा 409 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल के लिए सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर छह महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

ई.

एफ.

4. इसमें अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने के अधीन इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

जी.

मामले के तथ्यः

5. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2003 के सी. सी. संख्या 24 में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब आरोपी राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा में कृषि अधिकारी के रूप में काम कर रहा था,

तो उसने एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आपराधिक ए.

एच.

485

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

27.04.1992 से 25.08.1992 तक की अवधि के दौरान विश्वास का उल्लंघन और Rs.20,035/- की राशि का दुरुपयोग, उप-कोषागार, पेराम्ब्रा को नहीं भेजकर।इस राशि में राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा में 5510 नारियल की कटाई और नीलामी से प्राप्त आय का दो-तिहाई हिस्सा <आईडी2,449/- शामिल है; 1,098/- रुपये 28.05.1992 पर नीलाम किए गए 1049 किलोग्राम आधे भरे हुए अनाज की नीलामी से प्राप्त आय का दो-तिहाई हिस्सा है। 488.80-स्टेट फीड फार्म, पर्मब्रा से काटे गए 104 नारियल की कीमत क्रमशः 24.08.1992 और 25.08.1992 पर है।

बी.

6. सी. सी. में अभियोजन पक्ष का मामला। 2003 का No.25 यह है कि जब अभियुक्त कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा के रूप में काम कर रहा था, 31.05.1991 से 31.05.1994 तक, एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और 01.03.1993 से 12.04.1994 की अवधि के दौरान Rs.58,671/- की राशि का दुरुपयोग किया, जो कि राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा से कटाई की गई 11,109 नारियल की बिक्री से नीलामी आय थी, जिसे 23.07.1993 पर नीलाम किया गया था। 12, 290/- 6,046 नारियलों की नीलामी से प्राप्त आय है; राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा से काटे गए 3,883 नारियलों की नीलामी से प्राप्त आय है; Rs.654-13.02.1992,07.04.1993,17.03.1994 और 12.04.1994 पर काटे गए 160 नारियलों की कीमत है, जिसका कोई हिसाब नहीं है और इस तरह उसने अधिनियम की धारा 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 409 सहपठित धारा 13 (1) (सी) के तहत उपरोक्त अपराध किए हैं।

सी.

डी.

ई.

7. अभियोजन पक्ष का मामला है कि अभियुक्त के खिलाफ इन दो मामलों को दर्ज करने से पहले, उसके खिलाफ तीन अन्य मामले, 1999 का सी. सी. संख्या 12,1999 का सी. सी. संख्या 13 और 1999 का सी. सी. संख्या 14 दर्ज किए गए थे।मई 1994 में, राज्य बीज

फार्म, पेराम्ब्रा में एक आकस्मिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल ने पाया कि नकद पुस्तिका का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था और कृषि अधिकारी को कोषागार से राशि प्राप्त हुई थी।निरीक्षण रिपोर्ट कृषि निदेशक को प्रस्तुत की गई।उक्त रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई और 05.02.1996 पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।जाँच पूरा होने पर, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तीन रिपोर्ट और 1999 की सी. सी. संख्या 12 (28.03.1994 और 02.04.1994 के बीच की अवधि के लिए किए गए अपराधों के लिए) प्रस्तुत की। 1999 का सी. सी. सं. 13 (आई. डी. 2 से आई. डी. 3 तक की अवधि के लिए किए गए अपराधों के लिए) और 1999 का सी. सी. सं. 14 (आई. डी. 4 से आई. डी. 1 तक की अवधि के लिए किए गए अपराधों के लिए)

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (सी) और आईपीसी की धारा 409 और 477 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेखा अधिकारी ने राज्य बीज फार्म में 31.05.1991 से 31.05.1994 तक की अवधि से संबंधित लेखा परीक्षा की और एक रिपोर्ट दी।उसी के आधार पर, दो मामले, जिनमें से यह अपील उत्पन्न होती है, अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज किए गए थे।वर्तमान मामलों के संबंध में प्राथमिकी 03.12.2001 पर दर्ज की गई थी।अभियोजन पक्ष का मामला है कि यह पुनः लेखापरीक्षा में था कि इन मामलों का पता चला और इसलिए दो मामले, सी. सी. No.24/2003 और सी. सी. No.25/2003, यहाँ अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज किए गए थे।

बी.

8. उक्त अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ 30.06.2007 पर आरोप तय किए गए थे और उन्हें पढ़ा गया और अभियुक्त को समझाया गया, जिस पर अभियुक्त ने 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।अभियुक्त ने 2008 के सीएमपी संख्या 1019 के रूप में संयुक्त मुकदमे के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति दी गई थी और इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई थी।अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों से पूछताछ की।इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा

313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए।अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था।

सी.

डी.

9. यह विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला था कि विचाराधीन अवधि के दौरान, उसके पास कुछ अन्य खेतों का अतिरिक्त प्रभार था और उसे राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा के कार्यों का संचालन करने के लिए कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था।अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसने खेत से किसी भी राशि का दुरुपयोग नहीं किया है और अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है।

ई.

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष -

एफ.

10. विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 409 सहपठित धारा 13 (1) (सी) के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराए गए रिकॉर्ड के साक्ष्य पर विचार करने पर दिनांक 6 के फैसले के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त ने नीलामी आय का दो-तिहाई होने के नाते, Rs.78,706/- की राशि का दुरुपयोग किया, इसे 27.04.1992 से 25.08.1992 और 01.03.1993 से 12.04.1994 की अवधि के दौरान खजाने में भेजे बिना। विचारण न्यायालय के मुख्य निष्कर्षों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

जी.

आई. कि इसे उपस्थिति रजिस्टर से देखा जा सकता है (विस्तार। पी22) कि अभियुक्त ए में एक कृषि अधिकारी था

एच.

विचाराधीन अवधि के दौरान राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा।आरोपी ने भी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह बात स्वीकार की है।

ii.कृषि अधिकारी के रूप में अभियुक्त के नियुक्ति आदेश (Ext.P2), अभियुक्त के प्रभार के हस्तांतरण की रिपोर्ट की प्रति (Ext.P3) और अभियुक्त के नियुक्ति विवरण वाली फाइल (Ext.P4) जैसे दस्तावेजों के अवलोकन से यह साबित होगा कि अभियुक्त राज्य बीज फार्म में एक कृषि अधिकारी के रूप में 31.05.1991 से 31.05.1994 तक काम कर रहा था, किसी भी उचित संदेह से परे।

बी.

iii.कि अभियुक्त को आरोप पत्र दाखिल करने के समय सेवा से हटा दिया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सी.

iv.कि अभियुक्त ने राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा के कृषि उत्पादों की नीलामी की और नीलामी की तारीख को ही नीलामी राशि का एक तिहाई एकत्र किया।उक्त राशि की रसीद सफल बोलीदाता को जारी की गई थी।शेष दो-तिहाई राशि एकत्र करने के बाद, वस्तुओं को नीलामी खरीदार को दिया जाना था।28.05.1993 पर, 5510 नारियल की कटाई और नीलामी की गई।नीलामी राशि का दो-तिहाई हिस्सा Rs.17,449/था।अभियुक्त ने नीलामी खरीदार से राशि एकत्र करने के बाद उक्त राशि नहीं भेजी।

डी.

ई.

v. वह रु. 2,098/- उसी तारीख को नीलाम किए गए 1049 किलोग्राम आधे भरे हुए अनाज की नीलामी से प्राप्त आय का दो-तिहाई है और रु. 488.80-क्योंकि 24.08.1992 और 25.08.1992 पर काटे गए 104 नारियलों की कीमत भी उप-कोषागार को नहीं भेजी गई थी और अभियुक्त ने अपने लाभ के लिए उक्त राशि का दुरुपयोग किया था।इसी तरह, राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा से 01.03.1993 से 12.04.1994 तक काटे गए नारियल की नीलामी आय से अभियुक्त द्वारा Rs.58,671/- की राशि का दुरुपयोग किया गया था।

एफ.

जी.

vi.कि वर्तमान दो मामलों में लगाए गए आरोप 27.04.1992 से 25.08.1992 और 01.03.1993 से 12.04.1994 की अवधि के लिए थे।पिछले मामले में, अभियुक्त ने कुछ राशि का दुरुपयोग किया था जिसका भुगतान किया जाना था

एच.

स्वामी, कृषि विपणन निगम, कोझिकोड; केरल राज्य कॉयर विपणन निगम, कोझिकोड, राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा से रिकॉर्ड को गलत और जाली बनाकर।कि अभियुक्त ने केरल राज्य सहकारी विपणन संघ, कोझिकोड को भुगतान करने के लिए कुछ राशि का भी दुरुपयोग किया। उक्त राशि का न तो नकद पुस्तिका में लेखा था और न ही उन्हें लाभार्थियों को वितरित किया गया था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, नारियल और आधे भरे हुए अनाज की नीलामी करने के बाद, सफल बोलीदाताओं से एकत्र की गई नीलामी आय का दो-तिहाई खजाने में नहीं भेजा गया था।इसलिए, गबन की अवधि और पिछले तीन मामलों और वर्तमान दो मामलों में अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति पूरी तरह से अलग थी।इस प्रकार अभियुक्त को अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत दोषी ठहराया गया।

बी.

सी.

डी.

vii.यह कि अभियुक्त कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा के रूप में नकदी, नकद तिजोरी, नकद पुस्तिका और अन्य दस्तावेजों का संरक्षक था और एक लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल और क्षमता के दौरान, उसने अपने लाभ के लिए उपरोक्त राशि का दुरुपयोग किया।इसलिए अभियुक्त को संपत्ति के संबंध में विश्वासघात करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया और इस प्रकार आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत दोषी ठहराया गया।

ई.

11. विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी-अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 को प्राथमिकता दी।उक्त अपीलों को सामान्य विवादित निर्णय दिनांक 13.06.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया था और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा को दो साल के लिए घटाकर एक साल के सश्रम कारावास में बदल दिया।उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्षों को निम्नानुसार नोट किया जा सकता हैः

एफ.

जी.

आई. यह माना जा सकता है कि इन दो मामलों में बताए गए उदाहरण अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज पहले के तीन मामलों में शामिल नहीं थे।यह कि 23.12.1997 से 27.12.1997 तक

की अवधि के लिए ऑडिट के दौरान इन उदाहरणों का पता चला और वर्तमान मामले दर्ज किए गए।

एच.

489

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

ii.यह एक स्वीकृत तथ्य था कि अभिलेखों से यह नहीं पता चलता कि वर्तमान दो मामलों में शामिल राशि उप-कोषागार को प्रेषित की गई थी।

iii.पीडब्लू11 के उस साक्ष्य ने स्थापित किया कि उन्होंने 04.06.1994 पर कार्यभार संभाला।कृषि भवन, कयन्ना में एक कृषि अधिकारी के रूप में काम करते हुए, उन्हें कृषि अधिकारी, सीड फार्म, पेराम्ब्रा के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ा।उनके बयान के अनुसार, जब उन्होंने संयुक्त कृषि निदेशक और कृषि उप निदेशक की उपस्थिति में कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने पेराम्ब्रा में बीज फार्म में कार्यालय के दस्तावेजों या संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं लिया था क्योंकि कार्यालय में ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

बी.

सी.

iv.राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा में 07.06.1994 से 24.04.1997 तक की अवधि के लिए एक कृषि अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने वाले पीडब्लू4 के बयान के अनुसार, उन्हें 10.02.1992 से 11.03.1994 तक की अवधि के लिए कोई नकद पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई। इसमें अपीलार्थी ने पी. डब्ल्यू. 4 के कार्यभार संभालने के बाद 12.03.1994 से 03.06.1994 तक की अवधि के लिए नकद बही और 2,763/- रुपये की नकद शेष राशि सौंपी।पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि उन्हें कार्यभार संभालने के समय नकद पुस्तिका नहीं मिली थी और उनके कार्यभार संभालने के बाद ही अपीलार्थी ने उन्हें नकद पुस्तिका और नकद शेष राशि सौंपी थी।जब इस तथ्य के संबंध में कोई चुनौती नहीं है कि अपीलार्थी ने 12.03.1994 से 03.06.1994 तक की अवधि के लिए नकद पुस्तिका सौंपी थी, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसने पहले की नकद पुस्तिका कभी नहीं सौंपी थी।इसके अतिरिक्त किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी।

डी.

ई.

एफ.

v. कि एक जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी के रूप में, अपीलार्थी को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी और इसलिए, यह कहकर अपने हाथ नहीं धो सकता था कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर था, क्योंकि उसके पास अन्य खेतों का भी अतिरिक्त प्रभार था।उन्हें नकद पुस्तिका रखनी चाहिए थी और इसे ठीक से बनाए रखना चाहिए था और समय पर प्रविष्टियां करनी चाहिए थीं।अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से नकद पुस्तिका को हटा दिया और 10.02.1992 से 11.03.1994 तक की अवधि के लिए उसे वापस नहीं किया।

जी.

12. निचली न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता देकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

एच.

13. हमने अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री एडोल्फ मैथ्यू और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सी. के. सासी को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

पक्षों की दलीलें:

14. आरंभ में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि करने में सही नहीं था और विवादित निर्णय कानूनी के साथ-साथ तथ्यात्मक दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और उनमें निष्कर्ष विकृत हैं और पक्ष में रखे जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और अपीलार्थी बरी होने के लिए उत्तरदायी है।अभियुक्त के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का सारांश इस प्रकार है:

बी.

सी.

14.1 कि अभियुक्त लोक सेवक है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) में अभियुक्त जैसे लोक सेवकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

डी.

14.2 कि वर्तमान मामलों में पूरी अभियोजन कार्यवाही सी. आर. पी. सी. की धारा 300 (1) द्वारा वर्जित है जिसमें दोहरे खतरे का सिद्धांत शामिल है।अभियुक्त पर पहले ही वर्ष 1999 में

उसे सौंपे गए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों के लिए मुकदमा चलाया जा चुका था, जब उसके खिलाफ सी. सी. No.12 से 14/1999 दायर किया गया था।सभी पाँचों मामलों में मुख्य आरोप एक ही है अर्थात, नकद बही में गलत प्रविष्टियाँ करना और धन का दुरुपयोग करना।

ई.

14.3 कि पहले तीन मामलों में आरोप 17.08.1999 पर तैयार किए गए थे, जो ऑडिट के बहुत बाद है और उक्त दिन, अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले के संबंध में कथित गबन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था।इसलिए, तत्काल मामलों में आरोप/अपराध पिछले मुकदमे में बनाए गए हो सकते हैं और आरोपी पर वर्तमान आरोपों के लिए उक्त मामलों में ही मुकदमा चलाया जा सकता था।14.4 उस 27.02.2001 के फैसले और आदेश के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को C. C. No.13/1999 में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया, यानी 15.12.1992 से 31.03.1993 की अवधि के दौरान उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।हालाँकि, यहाँ अपीलार्थी को सी. सी. No.12 और 1999 के 14 में आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था।याची को यहाँ 02.05.2001 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।ए. आई. आर.

एफ.

जी.

एच.

491

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

वर्तमान मामलों में अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त किए जाने और विचारण न्यायालय का निर्णय पारित किए जाने के बाद 03.12.2001 पर दायर किया गया था।वर्तमान दो मामलों में आरोप/अपराध पिछले मुकदमे में तैयार किए जा सकते थे और इसमें अपीलार्थी पर पहले के तीन मामलों के मुकदमे के साथ-साथ उसी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था।

बी.

14.5 यदि अभियुक्त पर वर्तमान अपराधों के लिए फिर से मुकदमा चलाया जाना था, तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 की उप-धारा (2) के तहत अनिवार्य है।

सी.

14.6 वर्तमान मामले में बनाए गए आरोप गबन और खातों के जालीकरण के कई कृत्यों से संबंधित हैं।ये कथित तौर पर एक ही लेन-देन/कृत्यों की एक ही श्रृंखला के दौरान किए गए थे। एक ही लेन-देन के रूप में माने जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला के लिए, उन्हें जोड़ा जाना चाहिए।कि अभियुक्त के खिलाफ कथित गबन के विभिन्न कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, जो समय और स्थान की निकटता और उद्देश्य और डिजाइन के समुदाय से जुड़े हुए हैं।

डी.

14.7 विचाराधीन अवधि के दौरान, अपीलार्थी के पास कुछ अन्य खेतों का अतिरिक्त प्रभार था और इसलिए उसे कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था।

ई.

14.8 आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष उक्त अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक साबित नहीं कर सका, अर्थात् माल को सौंपना या संपत्ति पर अधिकार।

एफ.

14.9 अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) के तहत दोषसिद्धि नहीं की गई है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति उसे सौंपी गई थी या उसके नियंत्रण में थी, और यह कि उसके द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी से दुरुपयोग किया गया था।

जी.

15. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य को सही ढंग से समझा और मूल्यांकन किया है।निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ भी की गईः

एच.

15.1 कि अभियुक्त ने राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा में एक कृषि अधिकारी के रूप में 31.05.1991 से 31.05.1994 तक काम करते हुए, एक लोक सेवक के रूप में, 27.04.1992 से 25.08.1992 तक की अवधि के दौरान <ID3,035/- की राशि और

01.03.1993 से 12.04.1994 तक की अवधि के दौरान <ID5,671/- की राशि का दुरुपयोग किया।

बी.

15.2 अपीलार्थी ने नारियल और आधे भरे हुए अनाज की नीलामी की और नीलामी की तारीख को ही पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 से नीलामी राशि का एक तिहाई एकत्र किया।पुष्टि के बाद, नीलामी राशि का दो-तिहाई भी एकत्र किया गया और रसीदें जारी की गईं, लेकिन उक्त दो-तिहाई राशि उप-कोषागार को नहीं भेजी गई।

सी.

15.3 कृषि अधिकारी चालान प्राप्तियों, नकद, नकद पुस्तकों आदि का संरक्षक होता है और उक्त अवधि के दौरान जब धन का दुरुपयोग किया गया था, तो अपीलार्थी राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा में कृषि अधिकारी था।Ext.P-22 पर चिह्नित उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी यही साबित करती है।

डी.

16. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगेः

(क) क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि करने में उचित था?

ई.

(ख) क्या उच्च न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप या संशोधन की आवश्यकता है?

((ग) कौन-सा आदेश?

एफ.

चर्चाः

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दो मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए एक बाधा है-क्योंकि यहाँ अपीलार्थी पर पहले से ही तथ्यों के एक ही सेट में समान अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और साथ ही दंडित किया जा चुका है।वर्तमान दो मामलों में अपीलार्थी पर मुकदमा चलाना दोहरे खतरे के बराबर होगा।भारत में, दोहरे खतरे से सुरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत निहित एक मौलिक अधिकार है।सी. आर. पी. सी. की धारा 300 भी उक्त सिद्धांत पर आधारित है।

जी.

18. आगे बढ़ने से पहले, दोहरे खतरे की अवधारणा को समझना उचित है।ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, 9 वीं ए

एच.

493

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

संस्करण, 'दोहरे खतरे' को "एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाने या सजा दिए जाने" के रूप में परिभाषित किया गया है।

19. 'खतरे' शब्द का उपयोग दोषसिद्धि और सजा के खतरे को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो एक आपराधिक कार्रवाई में एक आरोपी को होता है।''खतरे' का तात्पर्य उस अपराध के लिए एक वैध दोषसिद्धि के संपर्क में आना है जिसके लिए एक व्यक्ति को पहले ही बरी या दोषी ठहराया जा चुका है।'दोहरा खतरा', 'पूर्व खतरा', 'जीवन या अंग के लिए खतरा', 'एक ही अपराध के लिए खतरा', 'दो बार सजा के खतरे में डाला गया' और विभिन्न संविधानों और कानूनों में उपयोग की जाने वाली अन्य समान अभिव्यक्तियों का काफी हद तक एक ही प्रभाव से अर्थ लगाया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, दोहरे खतरे का उपयोग किसी अभियुक्त के संरक्षण को दर्शाने के लिए किया जाता है, कि उसका उसी अपराध के लिए निष्पक्ष परीक्षण हुआ है, जिसमें निष्पक्ष परीक्षण का अर्थ है कानून के अनुसार परीक्षण और स्थापित कानूनी प्रक्रिया।

बी.

सी.

20. भारत के संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है।अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।अनुच्छेद 20 (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा।दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा भी पूरक किया जाता है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 (2) इस प्रकार हैः

डी.

ई.

“20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।—

(1) XXX

XXX

XXX

(2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।

एफ.

(3) XXX

XXX

XXX "

21. सी. आर. पी. सी. की धारा 300 के आयात पर चर्चा करना भी उपयोगी होगा। उक्त प्रावधान तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया हैः

"धारा **300** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.-**एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने पर व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

जी.

(1) एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है और दोषी ठहराया गया है या ऐसे अपराध से बरी कर दिया गया है, जबकि ऐसा दोषसिद्धि या बरी होना लागू है, उसी के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एच.

अपराध, और न ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर जिसके लिए उसके खिलाफ धारा 221 की उप-धारा (1) के तहत अलग आरोप लगाया गया हो, या जिसके लिए उसे उसकी उप-धारा (2) के तहत दोषी ठहराया गया हो।

(2) किसी भी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर बाद में राज्य सरकार की सहमति से किसी भी विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए धारा 220 की उप-धारा (1) के तहत पूर्व मुकदमे में उसके खिलाफ एक अलग आरोप लगाया जा सकता है।

बी.

न्यायालय(न्यायालय 3 न्यायालय)न्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयणन्यायालयान्यायालयमन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयेन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयान्यायालयलन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय्न्यायालययन्यायालय
न्यायालयदन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयगन्यायालयठन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयीन्यायालय न्यायालयभन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयोन्यायालयषन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयठन्यायालयहन्यायालयरन्यायालयान्यायालयएन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयवन्यायालय्न्यायालययन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयिन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयोन्यायालय न्यायालयऐन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय्न्यायालययन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयिन्यायालयलन्यायालयकन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय न्यायालयअन्यायालयलन्यायालयगन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयगन्यायालयठन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयतन्यायालयान्यायालय
न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयोन्यायालयषन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयठन्यायालयहन्यायालयरन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयदन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयऐन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयंन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयलन्यायालय्न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयखन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयुन्यायालयकन्यायालयदन्यायालयमन्यायालयान्यायालय

न्यायालयचन्यायालयलन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालय न्यायालयसन्यायालयकन्यायालयतन्यायालयान्यायालय
न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय,न्यायालय न्यायालययन्यायालयदन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयणन्यायालयान्यायालयमन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयहन्यायालयुन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयथन्यायालयेन्यायालय,न्यायालय न्यायालयजन्यायालयबन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयोन्यायालयषन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयठन्यायालयहन्यायालयरन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय।न्यायालय

सी.

डी.

(4) किसी भी कार्य द्वारा गठित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को, इस तरह के बरी किए जाने या दोषसिद्धि के बावजूद, बाद में उन्हीं कृत्यों द्वारा गठित किसी अन्य अपराध के लिए आरोपित किया जा सकता है और उसके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जो उसने किया होगा यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा उस पर पहली बार मुकदमा चलाया गया था, उस अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं था जिसके साथ बाद में उस पर आरोप लगाया गया था।

ई.

(5) धारा 258 के तहत आरोपमुक्त व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसके द्वारा उसे आरोपमुक्त किया गया था या किसी अन्य न्यायालय के जिसके अधीन पहला उल्लिखित न्यायालय है।

एफ.

(6) इस धारा की कोई भी बात सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 188 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

जी.

स्पष्टीकरण —किसी शिकायत को खारिज करना या अभियुक्त को आरोपमुक्त करना इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्त नहीं है।”22. सी. आर. पी. सी. की धारा 300 सामान्य नियम को मूर्त रूप देती है जो स्वयंभू बरी होने (पहले) की दलीलों की वैधता की पुष्टि करती है।

बरी कर दिया गया) और स्वयंभू दोषी (पहले दोषी ठहराया गया)।उप-धारा ए

एच.

495

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

(1) धारा 300 दोहरे खतरे के नियम को निर्धारित करती है और उप-धारा (2) से (5) अपवादों से निपटती है।तदनुसार, जब तक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का आदेश लागू रहता है, तब तक उस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जिसके लिए उस पर पहले मुकदमा चलाया गया था या उसी तथ्य स्थिति से उत्पन्न किसी अन्य अपराध के लिए, धारा की उप-धारा (2) से (5) के तहत निपटाए गए मामलों को छोड़कर।23. सी. आर. पी. सी. की धारा 300 अधिकतम निमो डेबर पर आधारित है।

बी.

यह सबसे महंगी चीज है जो एक दूसरे के लिए उपयुक्त है और जो एक दूसरे के लिए लाभदायक है।

इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर उस अपराध के लिए दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो उस अपराध में शामिल है जिसके लिए उस पर पहले आरोप लगाया गया था।के अनुसार

विजयलक्ष्मी बनाम वासुदेवन (1994) 4 में इस न्यायालय का निर्णय

सी.

एस**.** सी**.** सी**. 656** पहले से ही मुकदमा चलाए जा चुके किसी भी व्यक्ति के मुकदमे को रोकने के लिए**,** यह दिखाया जाना चाहिए किः

((i) उस पर उसी अपराध के लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया है या उसी तथ्यों पर उसे मुकदमे में दोषी ठहराया गया है।

डी.

((ii) उसे मुकदमे में दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है, और (iii) ऐसी दोषसिद्धि या बरी करना लागू है।

24. इस प्रावधान का पूरा आधार यह है कि पहला मुकदमा सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय के समक्ष होना चाहिए था।अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया होगा, अर्थात, गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई और निर्धारण या निर्णय होना चाहिए था।जहां अभियुक्त पर मुकदमा नहीं

चलाया गया है और इस तरह से दोषी या बरी नहीं किया गया है, वहां धारा 300 (1) लागू नहीं होगी।

ई.

25. सी. आर. पी. सी. की धारा 300 किसी व्यक्ति के मुकदमे को न केवल उसी अपराध के लिए बल्कि उसी तथ्यों पर किसी अन्य अपराध के लिए भी प्रतिबंधित करती है।

एफ.

ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर 1966 एस. सी. 911।संविधान का अनुच्छेद 20:

26. अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में अपने दायरे में, स्वयंभू दोषी की याचिका को शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है, जिसे पहले ब्रिटिश न्यायशास्त्र में दोषी ठहराया गया था, या अमेरिकी संविधान को ज्ञात दोहरे खतरे की याचिका।हालाँकि, उक्त अवधारणाएँ अनुच्छेद 20 (2) में सीमित हैं जो प्रदान करता है कि न केवल एक अभियोजन होना चाहिए बल्कि दूसरे अभियोजन के लिए एक बाधा के रूप में काम करने के लिए पहली बार में सजा भी होनी चाहिए।

जी.

एच.

और उसी अपराध के लिए सजा।अनुच्छेद 20 के उपखंड (2) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान केवल दूसरे अभियोजन को प्रतिबंधित करता है जहां आरोपी पर मुकदमा चलाया गया है और पहले एस. ए. वेंकटरमण द्वारा एक ही अपराध के लिए दंडित किया गया है।

बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 375 ("एस. ए. वेंकटरमण")।लेकिन

यह खंड बाद के मुकदमे को प्रतिबंधित नहीं करता है यदि पिछले और बाद के मुकदमों में अपराधों के तत्व अलग-अलग हैं।मकबूल हुसैन में

बी.

बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 325, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खंड

(2) यह तब तक लागू नहीं होता जब तक कि व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया हो और उसे दंडित भी नहीं किया गया हो।

27. खंड को लागू करने के लिए तीन शर्तें हैं।सबसे पहले, कानून की न्यायालय या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष पिछली कार्यवाही होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया होना चाहिए।उक्त अभियोजन वैध होना चाहिए और अमान्य या निष्फल नहीं होना चाहिए।दूसरा, पिछली कार्यवाही में दोषसिद्धि या बरी होना उसी अपराध और तथ्यों के उसी समूह के संबंध में दूसरी कार्यवाही के समय लागू होना चाहिए, जिसके लिए उस पर पहली कार्यवाही में मुकदमा चलाया गया था और दंडित किया गया था।तीसरा, बाद की कार्यवाही एक नई कार्यवाही होनी चाहिए, जिसमें उस पर दूसरी बार मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसी अपराध और तथ्यों के एक ही समूह के लिए दंडित किया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, खंड का कोई अनुप्रयोग नहीं है जब बाद की कार्यवाही केवल पिछली कार्यवाही की निरंतरता है, उदाहरण के लिए, जहां इस तरह के बरी होने या दोषसिद्धि से अपील उत्पन्न होती है।दोहरे खतरे की याचिका को बनाए रखने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि इस खंड की सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा किया गया है, एस. ए.

सी.

डी.

ई.

वेंकटरमण।

28. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों प्रावधान, यानी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में 'एक ही अपराध' शब्द का उपयोग किया गया है।

एफ.

इस मुद्दे से निपटने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि 'एक ही अपराध' शब्द का क्या अर्थ है और इसमें क्या शामिल है।सरल भाषा में 'एक ही अपराध' शब्द का अर्थ है, जहां अपराध अलग-अलग नहीं हैं और अपराधों के तत्व समान हैं।जहां अलग-अलग घटकों से बने दो अलग-अलग अपराध हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंध का कोई अनुप्रयोग नहीं है, हालांकि अपराधों में कुछ अतिव्यापी विशेषताएं हो सकती हैं।अनुच्छेद 20 की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि अपराध सभी मामलों में समान और समान हों।

जी.

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम। नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600।

एच.

497

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

29. दोहरे खतरे की अवधारणा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में भी समझा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।'संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन' केवल सांस लेने का शारीरिक कार्य नहीं है।यह केवल पशु अस्तित्व या जीवन के माध्यम से निरंतर कठिन परिश्रम को नहीं दर्शाता है।इसका एक बहुत व्यापक अर्थ है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।में

बी.

मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में प्रसिद्ध निर्णय

1978 ए. आई. आर. 597, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया, जिसमें कहा गया था कि जीने के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आदि जैसे विभिन्न अधिकारों को शामिल किया गया है।इसी तरह, दोहरे खतरे से सुरक्षा को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल किया गया है।तथ्यों की उसी श्रृंखला में एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना, जिसके लिए वह पहले या तो बरी हो चुका है या दोषी ठहराया गया है और सजा काट चुका है, व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करता है।

सी.

डी.

30. दोहरे खतरे को अक्सर दोहरे दंड के साथ भ्रमित किया जाता है।इन दोनों में बहुत अंतर है। दोहरा दंड तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को एक अभियोग में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, हालांकि, दोहरा खतरे का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब दोषसिद्धि या पहले के अभियोग पर बरी होने के बाद बाद के अभियोग पर दूसरा परीक्षण मांगा जाता है।यह सिद्धांत निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए दूसरी सजा या सजा के खतरे से सुरक्षा नहीं है, न ही एक अपराध के लिए सजा की सेवा के लिए, बल्कि एक ही अपराध के लिए दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा है, जो एक ही अपराध के लिए दूसरी सुनवाई के खिलाफ है।

ई.

एफ.

31. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने जोरदार तर्क दिया है कि वह 31.05.1991 से 31.05.1994 की अवधि के दौरान कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा के रूप में कार्यरत था।उन्होंने 20.10.1993 से 27.10.1994 तक की अवधि के लिए कृषि अधिकारी, कृषि भवन, पेराम्ब्रा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।अपीलार्थी को कार्यालय के विभिन्न कार्यों के लिए अपने अधीनस्थ पर निर्भर रहना पड़ता था।स्टॉक रजिस्टर आदि सहित फाइलों को अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा संभाला जाता था।कृषि अधिकारी की अनुपस्थिति में कृषि सहायक को नकद राशि प्राप्त हुई।अपीलार्थी ने यहाँ पी. डब्ल्यू.-5, जो उलियेरी का निवासी था, जो नारियल के व्यवसाय में लगा हुआ था, पी. डब्ल्यू.-11, जो थायन्ना में कृषि अधिकारी था, पी. डब्ल्यू.-12, जो नारियल के व्यवसाय में लगा हुआ था, की गवाही का उल्लेख किया है।

जी.

एच.

लेखा अधिकारी, प्रधान कृषि अधिकारी, कोड़िकोड और पीडब्लू-13 जो पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उत्तरी रेंज, कोड़िकोड थे।

32. अपीलार्थी द्वारा यहाँ भरोसा किए गए इन गवाहों की गवाही का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।पीडब्लू-5 उलियेरी का निवासी था और दस साल तक नारियल के व्यवसाय में लगा रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1992-1993 के दौरान कई बार पेराम्ब्रा सीड फार्म से नारियल खरीदे थे।उन्होंने कहा कि अपीलार्थी जो उस समय कृषि अधिकारी थे, ने उन्हें 8,724/- रुपये के भुगतान के लिए रसीद की एक कार्बन प्रति 28.05.1992 पर सौंपी।वह एक तिहाई राशि नीलामी की तारीख को जमा की गई थी और शेष दो तिहाई राशि का भुगतान बाद में किया गया था और नारियल उनके द्वारा ले लिए गए थे।इस गवाह ने कहा कि उसे याद नहीं है कि दो-तिहाई राशि के भुगतान की रसीद दी गई थी या नहीं।गवाह ने अपनी जिरह में कहा कि घटना की तारीख से आठ साल बाद उससे पूछताछ की गई और उक्त कार्यालय में अन्य कर्मचारी भी थे।कि वह ठीक से यह नहीं बता सका कि उसने राशि किसे सौंपी और यह भी कि उसने प्राप्तियों पर जोर नहीं दिया और उसे याद नहीं है कि प्राप्तियां दी गई थीं या नहीं।

बी.

सी.

डी.

33. पीडब्लू-11 21.12.1992 से 02.04.1996 तक थायन्ना में कृषि अधिकारी थे।उनके पास राज्य विलेख फार्म, पर्मबरा के कृषि अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार था।अपनी गवाही में, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कृषि के संयुक्त निदेशक और उप निदेशक की उपस्थिति में कार्यभार संभाला, तो उन्होंने उक्त कार्यालय की चल और अचल संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया।कि कार्यालय में कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण दस्तावेज़ नहीं लिए गए थे और उन्होंने नकद और नकद पुस्तिका के बारे में नहीं पूछा था।अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने कहा कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, तो यह कार्यालय कर्मचारी थे जिन्होंने उन्हें उक्त कार्यालय में मामलों के बारे में जानकारी दी थी।इस गवाह के अनुसार, बीज फार्म में बहुत सारे नकद लेनदेन होते थे और अधिकारियों की अनुपस्थिति में, कर्मचारी नकदी के मामलों को संभालते थे।कृषि अधिकारी के पास क्षेत्र कार्य भी होता था, और वह आवधिक सम्मेलनों के लिए भी बाहर जाता था।34. पीडब्लू-12 24.01.1996 से 31.08.1998 तक प्रधान कृषि कार्यालय के लेखा अधिकारी थे।अपनी गवाही में, उन्होंने कहा कि उस अवधि के दौरान, उन्होंने 01.04.1992 से 31.12.1994 तक की अवधि के लिए बीज फार्म का पुनः ऑडिट किया।पुनः लेखापरीक्षा इसलिए की गई क्योंकि इस बात पर आपत्तियां थीं कि खेत की आय के विवरण की विस्तार से जांच नहीं की गई थी।01.04.1992 से 03.06.1994 तक की अवधि के लिए कृषि अधिकारी टी. पी. गोपालकृष्णन थे, जो यहाँ अपीलार्थी थे; ए से

ई.

एफ.

जी.

एच.

499

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

04.06.1994 06.06.1994 से मिनी था; और 07.06.1994 से विनोद कुमार थे।चूंकि पिछले लेखापरीक्षा में अनियमितताएं थीं, इसलिए पुनः लेखापरीक्षा की गई।अपनी जिरह में, पीडब्लू-12 ने कहा कि उन्होंने पहले किए गए विभागीय ऑडिट को नहीं देखा था।अपनी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, आरोपी निलंबन में था।अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उसे कार्यालय में नकद पुस्तिका और अन्य दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारणों का पता नहीं था।

बी.

35. पीडब्लू-13 सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोझिकोड के उपाधीक्षक हैं जिन्होंने वर्तमान मामले में 05.12.2001 पर प्राथमिकी दर्ज की और दस्तावेजों को जब्त कर लिया।

इस गवाह ने जाँच की और अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाए।वर्तमान मामले में अभियुक्तों के खिलाफ लंबित मामलों को दिखाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी बरामद की गईं। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-13 ने कहा कि उन्हें पिछले तीन मामलों के बारे में पता चला जहां आरोपी का नाम लिया गया था; उन्होंने दो मामलों में दोषी ठहराया और एक मामले में बरी कर दिया, और उन्होंने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया।

सी.

डी.

36. उपरोक्त गवाहों की गवाही के अवलोकन पर, जो सामने आता है वह यह है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में महत्वपूर्ण विसंगतियां और विसंगतियां हैं।पीडब्लू-5 ने अपनी गवाही में कहा कि उसने यहाँ अपीलार्थी को राशि दी, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि वह नहीं जानता कि उसने पैसे किसे सौंपे थे।पीडब्लू-11 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान के अनुसार, बीज फार्म के कर्मचारी उसमें अधिकारियों की अनुपस्थिति में मामलों को संभालते थे।इस गवाह की गवाही इसमें अपीलार्थी के मामले का समर्थन करती है क्योंकि अपीलार्थी ने भी यही तर्क दिया है।पीडब्लू-12 ने अपने क्रॉस में, जाँच में कहा है कि उन्हें इस बात का कारण नहीं पता था कि कैश बुक और अन्य दस्तावेज कार्यालय में क्यों नहीं थे।पीडब्लू-12 ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि वे अपीलार्थी की अभिरक्षा में थे।

ई.

एफ.

37. अपीलार्थी का यह भी मामला है कि 1999 के पिछले तीन मामले, सी. सी. No.12,13 और 14 क्रमशः 28.03.1994 से 02.04.1994,15.12.1992 से 31.03.1993 और 05.03.1994 से 08.03.1994 तक की अवधि से संबंधित थे।मान लीजिए, 2003 के सी. सी. No.24 में आरोप 27.04.1992 से 25.08.1992 तक की अवधि के दौरान Rs.20,035/- की राशि के दुरुपयोग के लिए है। 2003 के सी. सी. No.25 में शुल्क Rs.58,671/- की राशि के लिए है, जो कथित रूप से 01.03.1993 से 12.04.1994 की अवधि के दौरान दुरुपयोग किया गया है।यह अपीलार्थी का मामला है कि वह पहले ही पिछले तीन मामलों में मुकदमे का सामना कर चुका है और वर्तमान दो मामले संबंधित हैं।

जी.

एच.

उसी अवधि के लिए।सी. आर. पी. सी. की धारा 300 एक ऐसी रोक लगाती है जिसमें, एक व्यक्ति जिस पर पहले से ही समान तथ्यों से उत्पन्न अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा चुका है, और जिसे या तो बरी कर दिया गया है या ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उस पर उसी अपराध के साथ-साथ किसी अन्य अपराध के लिए उसी तथ्यों पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि ऐसा दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है।इसमें अपीलार्थी पर पहले अधिनियम की धारा 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 409 और 477 ए सहपठित धारा 13 (1) (सी) के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था और उसे दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था।वर्तमान दो मामले तथ्यों के एक ही समूह और एक ही लेनदेन से उत्पन्न होते हैं जो पिछले तीन मामलों में हुआ था जिसमें अपीलार्थी पर क्रमशः मुकदमा चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था/बरी कर दिया गया था।जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, किसी अपराध को अंतिम अपराध के समान अपराध मानने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध अलग-अलग नहीं हैं और अपराधों के तत्व समान हैं।पिछला आरोप और वर्तमान आरोप गबन की उसी अवधि के लिए है।पिछले तीनों मामलों और वर्तमान मामले में अपराधों का मामला समान है और कहा जाता है कि अपीलार्थी द्वारा कृषि अधिकारी के एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेन-देन के दौरान किया गया था।

बी.

सी.

डी.

38. विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि पिछले मामले के तथ्य और अभियुक्त द्वारा किए गए गबन वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों के समान नहीं हैं। विचारण न्यायालय ने माना है कि वर्तमान मामले में, आरोप यह है कि नारियल और आधे भरे हुए अनाज की नीलामी करने के बाद, सफल बोलीदाता से एकत्र की गई राशि का दो-तिहाई हिस्सा खजाने में नहीं भेजा गया था, हालांकि, पहले के मामलों में, आरोप थे कि आरोपी ने कृषि विपणन निगम, कोड़िकोड, केरल राज्य कॉयर विपणन निगम, कोड़िकोड के मालिक को दी जाने वाली कुछ राशि का राज्य बीज फार्म, पेराम्ब्रा से जाली और गलत रिकॉर्ड बनाकर दुरुपयोग किया। अभियोजन पक्ष का यह स्वीकृत मामला है कि वर्तमान मामले पीडब्लू-9-सहायक उप-निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोझिकोड द्वारा किए गए पुनः लेखापरीक्षा पर आधारित थे।पुनः लेखापरीक्षा 01.04.1992 से 31.12.1994 तक की अवधि के लिए की गई थी। वर्तमान मामले में शुल्क 27.04.1992 से 25.08.1992 और 01.03.1993 से 12.04.1994 तक की प्रासंगिक अवधि के लिए हैं, जो समय अवधि पिछले तीन मामलों में क्रमशः 28.03.1994 से 02.04.1994,15.12.1992 से 31.03.1993 और 05.03.1994 से 08.03.1994 के समान है।इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि

वर्तमान मामले तथ्यों के एक ही समूह से संबंधित हैं और ए के लिए समान अपराधों के संबंध में हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

501

टी. पी. गोपालकृषणन बनाम केरल राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

वही अवधि, जो पिछले तीन मामलों के समान क्षमता में की गई थी, जिसमें अपीलार्थी पर पहले ही वर्ष 1999 में मुकदमा चलाया जा चुका था।इन सभी पांचों मामलों में मुख्य आरोप कैश बुक में गलत प्रविष्टियां करके गबन से संबंधित है।अभियोजन पक्ष का यह आरोप कि नीलामी राशि का दो-तिहाई कोष में नहीं भेजा गया था, धन के दुरुपयोग के आरोपों के तहत कवर किया जाएगा, जिसके लिए अपीलार्थी पर वर्ष 1999 में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है।अपीलार्थी का यह तर्क देना सही है कि पहले तीन मामलों में आरोप 17.08.1999 पर तैयार किया गया था जो लेखा परीक्षा के बहुत बाद है और अभियोजन पक्ष 17.08.1999 पर वर्तमान मामलों के संबंध में गबन के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा।

बी.

सी.

39. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 की उप-धारा (2) का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर उसके बाद मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की सहमति से, किसी भी विशिष्ट अपराध के लिए जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 की उप-धारा (1) के तहत उसके खिलाफ एक अलग आरोप बनाया गया हो सकता है। इसके ऊपर पहले ही यह देखा जा चुका है कि तत्काल मामलों में आरोप/अपराध पिछले तीन मामलों में लगाए गए आरोपों/अपराधों के समान हैं, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (2) के तहत राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि वर्तमान मामलों में आरोप पिछले मामलों की तुलना में अलग हैं, अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है और इसलिए तत्काल मामले में मुकदमा गैरकानूनी है।40. यह कहना गलत नहीं होगा कि अभियुक्त के खिलाफ बनाए गए आरोपों से पता चलता है कि खातों के गबन और जालसाजी के कई कार्य हुए थे, हालाँकि वही उसी लेनदेन में किए गए थे जिसके लिए उन पर

वर्ष 1999 में मुकदमा चलाया गया था।उनके खिलाफ कथित कृत्यों की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है।41. सी. आर. पी. सी. की धारा 300 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि जब दूसरे मुकदमे का आरोप एक अलग अपराध के लिए होता है, तो मुकदमा वर्जित नहीं होता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से बरी या दोषी ठहराया जाता है, तो उस पर एक अलग अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 की उप-धारा (1) के तहत पूर्व मुकदमे में उसके खिलाफ एक अलग आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन यह एक पूर्व शर्त के अधीन है कि ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले राज्य सरकार की सहमति ली जाए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

वर्तमान मामले में उक्त प्रावधान को लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि इससे पहले याची पर 1999 की सी. सी. No.12,1999 की सी. सी. संख्या 13 और 1999 की सी. सी. No.14 में अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) के साथ धारा 13 (2) के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 409 और 477 ए के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। 2003 की सी. सी. संख्या 24 और 2003 की सी. सी. संख्या 25 में, अपीलार्थी पर एक बार फिर इसी अवधि के लिए अधिनियम की धारा 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 409 सहपठित धारा 13 (1) (सी) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि

बी.

2003 का सी. सी. No.24 और 2003 का सी. सी. No.25 राज्य सरकार की सहमति के अनुसार शुरू किए गए हैं।यह भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि 2003 का सी. सी. No.24 और 2003 का सी. सी. No.25 किसी विशिष्ट अपराध के लिए है जिसके लिए अपीलार्थी और पहले के मुकदमों के खिलाफ एक अलग आरोप लगाया गया था।

सी.

(क) गवाहों के साक्ष्य की पुनः सराहना करने और प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि करने में उचित नहीं था।

डी.

(ख) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी इसमें अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा देने में सही नहीं थे और इसलिए, विवादित निर्णयों को अपास्त करना जा सकता है।

ई.

42. इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि 2003 की सी. सी. No.24 और 2003 की सी. सी. संख्या 25 की शुरुआत कानून के अनुसार नहीं है और इसलिए, उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।नतीजतन, 2003 के सी. सी. <आई. डी. 3 और 2003 के सी. सी. <आई. डी. 1 में विशेष न्यायाधीश, कोज़ीखोडे और 2009 के आपराधिक अपील <आई. डी. 2 और 948 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया गया है।

एफ.

अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

जी.

कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

एच.